फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी मुम्बई–400025, एवं शाखा कार्यालय–510–511, 5 वीं मंजिल, आरकेड बिल्डिंग मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री लालसिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, वार्ड नंबर–4, आईडाणा, तहसील आमेट जिला राजसमंद — — —**ऋणी एवं बंधककर्ता**
2. श्रीमती मिठू कंवर पत्नी श्री लाल सिंह वार्ड नंबर–4, आईडाणा, तहसील आमेट जिला राजसमंद

— — — सहऋणी
— विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 04/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 29.12.2021 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 23.06.2017 को ऋण अनुबंध निष्पादित कर खाता संख्या LXUDA00317 - 180055037 13,44,162/– अक्षरे तेरह लाख चवालीस हजार एक सौ बासठ रुपए का ऋण लिया था विपक्षी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निर्माणशुदा अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया हुआ हैं। **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** श्री लालसिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह की अचल संपति जो कि एक आवासीय भूखण्ड पट्टा नंबर–34, ग्राम आईडाणा, ग्राम पंचायत आईडाणा, तहसील	

आमेट, जिला राजसमंद राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 787.50 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्व :– श्री नारायण सिंह रघुवीर सिंह, पश्चिम :– स्वंय का बाडा, उत्तर :– श्री प्रेमसिंह राव दक्षिण : रास्ता, विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 15.04.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 24.04.2019 को विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 14,40,375/– अक्षरे चौदह लाख चालीस हजार तीन सौ पच्चोतर रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 25.04.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 04.05.2019 को डिमाण्ड नोटस विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 15.05.2019 को होने एवं डिमाण्ड नोटिस का सार दो सामाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया जिसके बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 04.05.2019 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्री लालसिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह की अचल संपति जो कि एक आवासीय भूखण्ड पट्टा नंबर–34, ग्राम-आईडाणा, ग्राम पंचायत, आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 787.50 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं

न्यायालय जिला कलक्टर

ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्व :– श्री नारायण सिंह रघुवीर सिंह, पश्चिम :– स्वंय का बाडा, उत्तर :– श्री प्रेमसिंह राव, दक्षिण : रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)